

प्रपत्र-1
नलकूप खनन हेतु आवेदन पत्र

कृषक की फोटो
व.कृ.वि.अ. द्वारा सत्यापित

प्रति,

उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
सागर, म.प्र.

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नलकूप खनन योजना वर्ष..... में नलकूप खनन हेतु प्रकरण पंजीयन बावत आवेदन ।

म.प्र.शासन कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक /डी-17/9/94/14-3/भोपाल दिनांक 31.12.2001 एवं म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक /डी-17/3/2008/14-3 दिनांक 21.4.08 में निहित निर्देशानुसार मैं कृषि विभाग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नलकूप खनन तथा पंप प्रतिष्ठापन पर देय अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. मैं (नाम कृषक बी-1 अनुसार)..... आत्मज श्री जाति ग्राम साकिन रकवां..... कृषक श्रेणी. प.ह.नं. वि.खंड जिला सागर का निवासी हूँ ।
2. मैं अपनी निजी भूमि पर जिसका विवरण निम्न प्रकार है पर स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण पर नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन सिंचाई कार्य हेतु कराना चाहता हूँ ।

कृषक का नाम (बी-1 अनुसार)	जति	ग्राम	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.में)	खसरा नं. जिसमें नलकूप खनन होना है	प्रस्तावित नलकूप के दूसरे नलकूप की दूरी

3. नलकूप खनन निर्माण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र (प्रपत्र-1,2, विजली विभाग का प्रमाण पत्र चालू वर्ष की खसरा, बी-1 एवं नक्शा, रजिस्ट्रीविटी सर्वे रिपोर्ट, नलकूप खनन संस्था का कुटेशन, नोटरी का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत का अनुमोदन, एक फोटो) आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।
4. नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर व्यय राशि स्वयं अथवा बैंक ऋण पर करूंगा ।
5. मैं निम्न संस्था मेसर्स से नलकूप खनन कराना चाहता हूँ ।
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्यो द्वारा पूर्व में कृषि विभाग की संचालित नलकूप खनन योजना का लाभ नहीं लिया है तथा नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित खसरा नं. रकवा में अभी कोई नलकूप खनित नहीं है साथ ही प्रस्तावित खसरा नं. से 300 मी. की दूरी के अंदर कोई भी नलकूप खनित नहीं है । म.प्र. शासन कृषि विभाग के उल्लेखित निर्देशो का पूर्ण पालन करूंगा ।

गवाह हस्ताक्षर

1. नाम व पता.....
.....

2. नाम व पता
.....

हस्ताक्षर कृषक

1. नाम
2. ग्राम

प्रपत्र-2
(परिष्कृत कृषि विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र)
एवं
(ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कृषक श्री पिता श्री
जाति ग्राम साकिन(निवासी) प.ह.नं. कुल
रकबा विकासखंड जिला सागर के नलकूप हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की
म.प्र.शासन कृषि विभाग द्वारा नवीन जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक डी-17/9/94/14-3 भोपाल
दिनांक 31.12.01 में उल्लेखित शर्तों की विधिवत जांच कर ली है, साथ ही दिनांक
को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार एक नलकूप से प्रस्तावित नलकूप
एल्यूवियम क्षेत्र में 450 मी० चट्टानी क्षेत्र में 300 मी० की दूरी पर प्रस्तावित है नलकूप खनन हेतु
प्रस्तावित खसरा नं. खम्बा में वर्तमान में नलकूप खनन नहीं है। कृषि विभाग पूर्व में
संचालित योग्यता का कृषक द्वारा लाभ नहीं लिया गया है अस्तु आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण
एवं स्थल से मैं सहमत हूँ।

कृषक द्वारा ऋण/स्वयं के व्यय पर प्रस्तावित खसरा नं. ग्राम
में नलकूप निर्माण (पंप प्रतिष्ठापन सहित) की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
कृषक को नलकूप खनन पर नवीन निर्देशानुसार खनन कार्य (मय केसिंग के)लघु/सीमांत कृषक
को कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 15000/-रु.एवं अन्य कृषक को कुल लागत का 50
प्रतिशत अधिकतम 15000/- जो भी कम हो तथा पंप प्रतिष्ठापन पर लघु/सीमांत कृषक को
कुल लागत का व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 9000/-रु. जो भी कम हो एवं अन्य कृषक को
लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 9000/-रु. जो भी कम हो अनुदान की मानता होगी।

स्थान-
दिनांक-
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के
हस्ताक्षर
केन्द्र

परिष्कृत कृषि विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर मय सील सहित

मेरे द्वारा कृषक श्री/श्रीमति
ग्राम विकासखंड का नलकूप प्रकरण की
विधिवत जांच कर ली है। म.प्र. शासन के पत्र दिनांक 31.12.01 के अनुसार कृषक का प्रकरण
पंजीयन योग्य होने से इसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान-
दिनांक-

अनुविभागीय कृषि अधिकारी
के हस्ताक्षर मय सील सहित

**नलकूप खनन योजनान्तर्गत विभागीय दिशा निर्देशो के पालन बावत
शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)**

1. मैं (कृषक) पिता/पति का नाम जाति.....
ग्राम साकिन (निवासी)..... वि.खं. जिला सागर का
निवासी हूँ ।
2. मेरे नाम से ग्राम प.ह.नं. वि.खं. जिला सागर
में कुल रकबा हे. का भूमि स्वामी हूँ, मैं लघु /सीमांत/अन्य कृषक श्रेणी में
आता हूँ ।
3. मैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सागर द्वारा संचालित नलकूप खनन योजनान्तर्गत
खसरा नं. रकबा में स्वयं/बैंक ऋण से नलकूप खनन कराने
हेतु प्रकरण तैयार किया है ।
4. मेरे नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित खसरा नंबर में वर्तमान में कहीं भी नलकूप खनित नहीं है ।
5. मेरे नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित खसरा नंबर के 300 मीटर के अंदर कोई भी नलकूप खनित
नहीं है ।
6. मैंने कृषि विभाग की पूर्व में संचालित नलकूप खनन योजना का लाभ नहीं लिया है ।
7. उपसंचालक कृषि द्वारा पंजीयन आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह (वर्षाकाल छोड़कर) खनन
कार्य आवेदन फार्म (प्रपत्र-एक) में उल्लेखित एजेन्सी से कराऊंगा ।
8. खनन कार्य पूर्ण होने पर प्रपत्र-4 की छाया प्रति एवं खनन कार्य के पक्के बिल की छाया प्रति
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / उपसंचालक कृषि को समयावधि दूंगा जिसमें यह स्पष्ट लेख
कर दूंगा कि यील्ड टेस्ट कार्य करवाने हेतु सहमत हूँ अथवा खनित नलकूप असफल घोषित
कराना चाहता हूँ ।
9. विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर पंप चालू कराने की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की होगी ।
10. यील्ड टेस्ट होने पर सफल/असफल नलकूप पंप क्रय करने के समस्त देयक, दस्तावेज एवं बैंक
पासबुक की छाया प्रति 15 दिवस में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर दूंगा ।
यदि मेरे प्रकरण का पंजीयन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सागर द्वारा
किया जाता है तो योजनान्तर्गत म.प्र.शासन कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/डी-17
/9/94/14-3 भोपाल दि. 31.12.2001 में नीहित निर्देशो एवं समय समय पर जारी की गई शर्तों का
पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा । यदि उपरोक्तानुसार शर्तों का पालन हमारे द्वारा समय सीमा में नहीं
किया गया तो हम अनुदान लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी
उत्तरदायी नहीं होंगे । मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर